[2021] 6 एस. सी. आर. 539

कुमार सिंह

वी.

राजस्थान और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 571)

20 जुलाई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.439-जमानत-अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी

पूर्व नियोजित तरीके से-पीड़ित के शरीर पर 26 चोटें पाई गईं-मृतक के शरीर पर 26 चोटें और मृतक के भाई पर 11 चोटें कुंद और धारदार हथियारों से लगी थीं-शिकायतकर्ता ने इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था। अभियुक्त और लोक अभियोजक की ओर से की गई दलीलों का वर्णन करने के अलावा

और शिकायतकर्ता, उच्च न्यायालय द्वारा दिमाग का कोई स्वतंत्र आवेदन नहीं था और इस तरह उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई कारण नहीं दिया गया था, वह भी ऐसे मामले में जहां अभियुक्त एस. एस. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपों का सामना कर रहे थे। 302 और 307 एस के साथ पढ़ा जाता है। 149 आई. पी. सी. और अन्य अपराधों में जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया-उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया

मामले के तथ्य; आरोपों की प्रकृति; अपराधों की गंभीरता और अभियुक्त की भूमिका-वास्तव में,

परिस्थितियों पर कोई चर्चा या विश्लेषण नहीं-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को विकृत कहा जा सकता है और यह जमानत देते समय विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने से ग्रस्त है-हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1. सभी अभियुक्त हत्या के आरोप में आई. पी. सी. की धारा 147,148,341,323,307,427,302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अपीलार्थी का भाई और एक व्यक्ति को घायल करना। के अनुसार

रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य पर कुल 26 चोटें पाई गईं।

मृतक और 11 घायल जो कुंद और धारदार हथियारों से हुए थे। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार प्रतिवादी-आरोपी गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे और वे सभी जो लाठियाँ ले जा रहे थे, वास्तव में अपराध करने में भाग लेते थे। अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के बावजूद और जिस तरीके से अपराध हुआ, उसके बावजूद

अपराध की गंभीरता और जिस तरीके से अपराध किया गया था, विवादित आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेशों से पता चलता है कि पहले वर्णन करने के अलावा

जमानत देते समय विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारकों पर विचार करना और इसलिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप है - आश्वासन दिया। [पैरा 10,13.2] [547-बी-ई; 558-ई]

2. अब जहां तक अभियुक्तों की ओर से यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त वर्ष 2019 में जमानत पर रिहा हुए हैं और अब तक लगभग 2 साल से अधिक समय बीत चुका है और स्वतंत्रता के दुरुपयोग और/या जमानत देने की शर्तों का कोई उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है और इसलिए यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता है, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मई, 2019 के महीने में जमानत दिए जाने के तुरंत बाद, वर्तमान अपीलों को जुलाई, 2019 के महीने में यानी 2 महीने की अवधि के भीतर दायर किया गया है और यहां तक कि इस न्यायालय ने अगस्त, 2019 के महीने में वर्तमान कार्यवाही में नोटिस भी जारी किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को चुनौती देने में शिकायतकर्ता की ओर से कोई देरी नहीं होती है

अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना। जमानत रद्द करने का आवेदन उच्च न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश को चुनौती देने की तुलना में अलग आधार पर है।

[पैरा 15] [559-ए-सी] कुमार सिंह बनाम।

राजस्थान और ए. एन. आर.

महिपाल वी. राजेश कुमार @पोलिया और अन्र। (2020) 2

एस. सी. सी. 118 [2019] 14 एस. सी. आर. 529; नीरू यादव बनाम। की स्थिति

उत्तर प्रदेश (2014) 16 एस. सी. सी. 508 [2014] 12 एस. सी. आर. 453;

गुलाबराव बाबूराव देवकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 16 एससीसी 190: [2013] 16 एस. सी. आर. 1181; रमेश

भवन राठौड़ बनाम। विशनभाई हीराभाई मकवाना

मकवाना (कोली) 2021 (6) स्केल 41; चमन लाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 7 एस. सी. सी. 525: [2004] 3 पूरक।

एससीआर 584; सोनू बनाम। सोनू यादव 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी

286 ; परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2020) 11 एस. सी. सी. 648-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 14 एससीआर 529

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.4

[2014] 12 एससीआर 453

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.4

[2013] 16 एससीआर 1181

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.4

[2004] 3 पूरक। एससीआर 584 पर भरोसा किया गया

पैरा 12

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

एफ 2021

उच्च न्यायालय के 28.05.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एस. बी. क्रिमिनल मिस्क में जयपुर में राजस्थान का चित्रण। II जमानत

2019 का कैशन संख्या 7179।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 572 & 573 2021 का

देवेंद्र सिंह, अनंत कुमार वात्स्या, शिव कुमार, अधिवक्ता। के लिए

पेलेंट।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मिलिंद कुमार, सुशील के. टेकरीवाल,

आमता टेकरीवाल, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, ऋषि मटोलिया, अधिवक्ता।

ई उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जयपुर पीठ ने [2021] 6 एस. सी. आर. जारी किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें निजी उत्तरदाता-कमलेश, भोजराज सिंह और आरिफ 2017 की धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत पर हैं, जो पीएस लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में दर्ज 2017 की एफ. आई. आर. 17.08.2017 के संबंध में है।

राजस्थान धारा 147,148,341 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए,

323 , 307 , 427 , 302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ने पर, मूल सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता-मृतक के भाई ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. कि अपीलार्थी ने यहाँ अभियुक्त के खिलाफ एक एफ. आई. आर. दर्ज की

आई. पी. सी. की धारा 147,148,341,323,307,427,302 के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. में नाम दर्ज किया गया है, जिसे आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के सदस्य और छुट्टी पर गए अपने भाई सुमेर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना की तारीख 16.08.2017 थी। 10 कमलेश, आरिफ और भोजराज सिंह सहित अभियुक्त व्यक्तियों को प्राथमिकी में नामित किया गया था-इसमें निजी प्रतिवादी थे। मृतक सुमेर सिंह पर 26 चोटें और एक विक्रम सिंह पर 11 चोटें भोले और धारदार हथियारों से लगी थीं। एफ. आई. आर. में निम्नलिखित आरोप लगाए गए थेः

" घटना की तारीख जो 16.08.2017 है, के दौरान

(1)

छोटी रोरू गाँव में गोगनवमी का मेला, पुरानी दुश्मनी के कारण दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया।

16.08.2017 पर, चाचा के घर में रात का खाना निर्धारित किया गया था

((ख)

राजियासर मीठा में शिकायतकर्ता और परिवार के सदस्य लगभग 11 बजे चले गएः 20 रात में प्रधानमंत्री 2 कारें (1) शिकायतकर्ता द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ छोड़ी गई एक बोलेरो आगे बढ़ रही थी और उसके बाद (2) और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चंद्र पाल सिंह द्वारा चलाई गई इनोवा।

जिसमें शिकायतकर्ता का भाई सुमेर सिंह भी शामिल है।

(iii)

इसके बाद आरोपी व्यक्तियों को किसी तरह पता चला शिकायतकर्ता का कार्यक्रम या राजियासर और नरेंद्र सिंह आदि के पास जाना, रात में अपने गाँव में अपने अन्य साथियों और दोस्तों को अपनी कारों में बुलाता था। ये 3 कारें (1) एक इनोवा नं. डीएल 4 सीएन

0857 (2) एक बोलेरो कैंपर (बिना नंबर प्लेट के) (3) पिकअप (बिना नंबर प्लेट के) तलवार, खोखरी सहित हथियारों से भरा हुआ था।

धारिया, लोहे की पाइप और लाठियाँ।

(iv) शिकायतकर्ता की बोलेरो कार आगे बढ़ रही थी और उसने आरोपी कमलेश की इनोवा कार को टी पॉइंट पर खड़ी पाया और चला गया, लेकिन जब पता चला कि इनोवा कार पीछे से दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसने यू-टर्न ले लिया और जब वह टी पॉइंट पर पहुंची।

टी पॉइंट ने पाया कि इनोवा कार खेतों में फंसी हुई थी कुमार सिंह बनाम।

राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

खिड़कियों को तोड़कर कमलेश पर 3 अन्य कैंपर कारों के साथ आरोप लगाया और कमलेश के खेत के अंदर पड़े लगभग 20-25 व्यक्ति और उसके भाई सुमेर सिंह और सभी आरोपी उसे तलवार, चाकू, खोखरी, लाठियों और रॉड से अंधाधुंध रूप से चाकू मार रहे थे।

(v)

अभियुक्त व्यक्तियों ने इनोवा कार पर घात लगाकर हमला किया।

बागीची के पास अलग-अलग स्थानों पर अपनी कारें खड़ी करके मृतक और सभी आरोपी बैठे हुए थे

हथियारों से भरी हर गाड़ी के अंदर।

(vi) अभियुक्त को पूरी जानकारी थी कि सुमेर सिंह

जो बी. एस. एफ. में काम करता था, छुट्टियों पर घर आया था।

और वे केवल उसे मारना चाहते थे।

(vii) जिस क्रूर तरीके से सुमेर सिंह पर घात लगाकर हमला किया गया, उन्हें घेर लिया गया और निर्दयता से उनकी हत्या कर दी गई, वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब उन्होंने भागने की कोशिश की और अपनी जान बचाने का प्रयास किया, तो उन्हें एक अन्य कैमरा ने मारा और वे कैंपर और कांटेदार तार के बीच फंस गए और नीचे गिर गए और उनका पैर टूट गया। इसके बाद

सभी अभियुक्तों ने उस पर हमला किया और उस पर लेटते समय उसे धारदार हथियारों से अंधाधुंध वार कर दिया।

जमीन।

3. कि इसमें निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन-अभियुक्त को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया

अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए। कमलेश को 20.08.2017 पर, आरिफ को 18.08.2017 पर और बोजराज सिंह को 23.10.2017 पर गिरफ्तार किया गया था। कि पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,302,341,323 और 427 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. डी. 1 पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कि कमलेश, आरिफ और भोजराज सिंह को उच्च न्यायालय ने 10.01.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने राय दी कि अभियुक्त व्यक्ति

भौतिक गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद संबंधित अदालत के समक्ष नए सिरे से जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आरोप-पत्र के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा 38 गवाहों से पूछताछ की जानी है। इसके बाद लर्नड ट्रायल कोर्ट ने 09.02.2018 पर अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किया। अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया

इनमें हरि सिंह, सुरजीत सिंह और दलीप सिंह शामिल हैं। राजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप-पत्र 11.12.2018 पर दायर किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्य अभियुक्त नरेंद्र सिंह के खिलाफ 23.04.2019 पर तीसरा पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया। इसके बाद 2019 के जमानत आवेदन Nos.250 और 2019 के 251 वाले आरिफ और भोजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिकाओं को लर्नड ट्रायल कोर्ट ने अपने दिनांक 30.04.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। इसके बाद विवादित निर्णय द्वारा और दिनांक 17.05.2019,28.05.2019 और 01.06.2019 के आदेशों के साथ, उच्च न्यायालय ने आरिफ, कमलेश और भोजराज सिंह को क्रमशः जमानत पर रिहा कर दिया है।

4. आई. पी. सी. की धारा 147,148,341,323,307,427,302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए राजस्थान के सीकर जिले में दर्ज 2017 की एफ. आई. आर. के संबंध में अभियुक्त आरिफ, कमलेश और भोजराज सिंह को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता, मृतक के भाई ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

5. हमने सुना है कि श्री देवेंद्र सिंह, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री सुशील के. टेकरीवाल, विद्वान वकील की ओर से पेश हुए। अभियुक्तों में से-कमलेश, श्री ऋषि मटोलिया, अभियुक्त आरिफ लोहार और भोजराज सिंह की ओर से पेश विद्वान वकील और डॉ. मनीष सिंघवी, राजस्थान राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील।

6. मूल शिकायतकर्ता/मुखबिर की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने अपराध किया है। प्रतिवादियों को रिहा करने/बड़ा करने में एक गंभीर त्रुटि-जमानत पर आरोपी। यह.

यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए अपराध की क्रूरता और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

6.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि सुमेर सिंह की बेरहमी से हत्या की गई थी।

सुनियोजित तरीके से। उच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि मृतक विक्रम सिंह के शरीर पर कुल 26 चोटें और घायल भाई पर 11 चोटें पाई गई हैं जो कुंद और धारदार हथियारों से लगी हैं।

अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा जो कुछ भी सौंपा गया है। 6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्तों की ओर से जो प्रस्तुतियाँ की जाती हैं, वे यह थीं कि वे डेढ़ साल से हिरासत में हैं; कि अभियुक्त कुमार सिंह बनाम।

उनके पास लाठियाँ थीं और यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान में कोई विशिष्ट अतिचार नहीं है और 36 गवाहों से पूछताछ की जानी है जिसमें लंबा समय लगने की संभावना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तरह से सुमेर सिंह की पूर्व नियोजित तरीके से हत्या की गई और आरोपी ने मृतक सुमेर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी, उच्च न्यायालय को आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था।

6.4 महिपाल बनाम राजेश कुमार @पोलिया और Anr.[1] नीरू यादव बनाम नीरू यादव के मामलों में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

यू. पी. 2 की स्थितिः गुलाबराव बाबूराव देवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 3 और मामले में इस न्यायालय का हालिया निर्णय रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) 1.

7. राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने अपीलार्थी का समर्थन किया है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने में गंभीर त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तरीके से सुमेर सिंह की बेरहमी से हत्या की गई थी, वह पूर्व नियोजित था और मृतक सुमेर सिंह के शव पर 26 घाव पाए गए थे और पूर्व शत्रुता थी और इसलिए मकसद स्थापित किया गया है। केवल इसलिए कि अभियुक्त लगभग 1 वर्ष और 6 महीने से हिरासत में हैं, उच्च न्यायालय को अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों से यह देखा जा सकता है कि अभियुक्त और लोक अभियोजक की ओर से की गई दलीलों पर ध्यान देने के अलावा उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी कारण नहीं दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित आदेशों से भी यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि अभियुक्तों पर दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं जिन्हें धारा 149 के साथ पढ़ा जाता है।

आईपीसी. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार उत्तरदाताओं-अभियुक्तों को गैरकानूनी सभा का सदस्य पाया गया और वे सभी उपस्थित थे घटना के समय और उन्होंने अपराध करने में भी भाग लिया, आई. पी. सी. की धारा 149 को देखते हुए इस स्तर पर व्यक्तिगत भूमिका पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

7.1 यह आगे राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

1 (2020) 2 एससीसी 118

3 (2013) 16 एससीसी 190 4 2021 (6) स्केल 41 [2021] 6 एससीआर।

महिपाल (सुप्रा) के मामले में अंतर और अंतर है।

जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति और जमानत रद्द करने के लिए आवेदन के मूल्यांकन के बीच। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा महिपाल (सुप्रा) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या इस मामले में विवेक का अनुचित और मनमाना प्रयोग किया गया है।

जमानत की मंजूरी। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेश गैर-मौखिक आदेश हैं और उच्च न्यायालय ने जमानत के लिए आवेदनों पर विचार करते समय प्रासंगिक कारकों और परिस्थितियों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, तो यह उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के आदेशों को रद्द करने और खारिज करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। 8. संबंधित अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने में कोई त्रुटि नहीं की है। श्री.

टेकरीवाल, अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वकील-कमलेश ने आगे कहा कि लगभग 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के बाद और जमानत पर रिहा होने के बाद स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने या कोई अपराध करने का कोई आरोप नहीं है।

अभियुक्त द्वारा जमानत देने की शर्तों का उल्लंघन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री टेकरीवाल ने आगे यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त और विद्वान लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुतियों को नोट किया है और उसके बाद अभियुक्त की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है कि आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है; आरोप तैयार किया गया है; वे एक वर्ष 3 महीने/छह महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और 36 गवाहों में से केवल 3 गवाहों की जांच की गई है और इससे पहले जब उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, तो संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत के समक्ष नए सिरे से उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि अभियुक्त की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने का मतलब है कि उच्च न्यायालय ने प्रस्तुतियों के साथ सहमति व्यक्त की है और/या अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से बताई गई प्रासंगिक परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाया है।

8.1 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है, विशेष रूप से जब अन्य अभियुक्त, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, जमानत पर रिहा किए गए थे।

9. पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित होने वाले विद्वान वकील को सुना।

10. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सभी अभियुक्तों पर धारा 147,148,341,323 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं।

307 , 427 , 302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें। इसलिए सभी अभियुक्त उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

अपीलार्थी के भाई सुमेर सिंह को मार डाला और एक विक्रम सिंह को घायल कर दिया। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृतक सुमेर सिंह पर कुल 26 चोटें और घायल विक्रम सिंह पर 11 चोटें पाई गई हैं।

धारदार और धारदार हथियारों से। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार प्रतिवादी-आरोपी गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे और वे सभी जो लाठियाँ ले जा रहे थे, वास्तव में अपराध करने में भाग लेते थे। अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और अपराध होने के तरीके के बावजूद, अपराध की गंभीरता और जिस तरीके से अपराध किया गया था, उस पर ध्यान दिए बिना, उच्च न्यायालय ने आरोपित आदेशों द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेशों पर विचार किया जाता है, तो हम पाते हैं कि पहले अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियों/दलीलों का वर्णन करने और उसके बाद विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रस्तुतियों को छोड़कर उच्च न्यायालय ने बिना कोई और कारण बताए अभियुक्त को केवल यह कहते हुए जमानत पर रिहा कर दिया है कि "याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, मैं दूसरे जमानत आवेदन की अनुमति देना उचित समझता हूं"। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को रिहा करने के आदेश-आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य अपराधों के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक गंभीर मामले में जमानत पर आरोपी वर्तमान अपीलों का विषय हैं।

11. संबंधित पक्षों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उपयोग कैसे किया जाए जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति और अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य, विशेष रूप से जब जमानत को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।

11.1 महिपाल (सुप्रा) के मामले में जहां उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य अपराधों के तहत अपराध के लिए एक मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया, जिसमें आरोपी के वकील द्वारा प्रस्तुत एकमात्र तर्क दर्ज किया गया और आगे यह दर्ज किया गया कि "[2021] 6 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए उचित और उचित समझता है।

उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश को दरकिनार करते हुए, हममें से एक डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पैराग्राफ 11 और 12 में कहाः

11. अनिवार्य रूप से, इस न्यायालय को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 द्वारा प्रदत्त शक्ति का वैध प्रयोग किया गया था। धारा 439 के तहत जमानत देने की शक्ति व्यापक आयाम। लेकिन यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हालांकि जमानत देने में अदालत की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग शामिल है, लेकिन इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि निश्चित रूप से एक मामले के रूप में। राम गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शन सिंह 3 उमेश बनर्जी, जे. ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, उन कारकों को निर्धारित किया जिन्हें शक्ति के प्रयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए -

निम्नलिखित शर्तों में जमानत दें:

" 3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है-लेकिन, इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से। बिना किसी ठोस कारण के जमानत के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत की मंजूरी प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर है हालाँकि, अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले और तथ्य हमेशा मामले-दर-मामले भिन्न होते हैं। ..... अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है-अपराध जितना अधिक जघन्य होता है, जमानत की अस्वीकृति की संभावना उतनी ही अधिक होती है, हालांकि, यह मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है।

4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जिन्हें प्रासंगिक विचार माना जा सकता है, इस मोड़ पर भी देखे जा सकते हैं, हालांकि, वे केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं, न ही कोई हो सकता है। विचार इस प्रकार हैं:

(क) जमानत देते समय न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि

केवल आरोपों की प्रकृति, लेकिन इसकी गंभीरता

सजा, यदि आरोप में दोषसिद्धि और प्रकृति शामिल है

आरोपों के समर्थन में सबूत।

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या उनके लिए कोई खतरा होने की आशंका।

5 (2002) 3 एस. सी. सी. 598 कुमार सिंह बनाम

शिकायतकर्ता को इस मामले में अदालत के साथ भी विचार करना चाहिए

जमानत की मंजूरी। (ग) यद्यपि अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाला पूरा साक्ष्य होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन न्यायालय को हमेशा इस मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्टि मिलनी चाहिए।

शुल्क का समर्थन।

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और

यह केवल वास्तविकता का तत्व है जो होना चाहिए

जमानत देने के मामले में विचार किया जाता है, और घटनाओं के सामान्य क्रम में अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, अभियुक्त निम्नलिखित आदेश का हकदार है -

जमानत "।

12. यह निर्धारित करना कि क्या कोई मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है, इसमें कई कारकों का संतुलन शामिल है, जिनमें से

कि अभियुक्त ने अपराध किया था और इसमें शामिल विचारों के संतुलन पर, अभियुक्त की निरंतर अभिरक्षा आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य को कम करती है। जहाँ निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई है, वहाँ एक अपीलीय अदालत को हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए और निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत को अलग रखने की शक्ति के प्रयोग के लिए।

11.2 वह निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करते हुए पारित किया गया था। इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा औरअन्यथा कि आम तौर पर यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है

उच्च न्यायालय अभियुक्त को जमानत देता है या अस्वीकार करता है। हालांकि,

यहाँ जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेक का प्रयोग किया गया है

विवेक के उचित अनुप्रयोग के बिना या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में, जमानत देने वाला ऐसा आदेश रद्द किया जा सकता है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति एक अलग आधार [2021] 6 एस. सी. आर.

जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन के मूल्यांकन से। यह भी देखा गया है कि जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या जमानत देने में विवेक का उचित या मनमाना प्रयोग किया गया था। यह आगे देखा गया है कि परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अन्यायपूर्ण है। इसके बाद इस न्यायालय ने एक आवेदन के बीच के अंतर और अंतर पर विचार किया पैराग्राफ 13,14,16 और 17 में जमानत देने वाले अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली जमानत रद्द करने और इस न्यायालय के समक्ष अपील निम्नानुसार हैः

13. वे सिद्धांत जो इस न्यायालय का मूल्यांकन करने में मार्गदर्शन करते हैं

एक आदेश की शुद्धता [आशीष चटर्जी बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, 2010 का सी. आर. एम. सं. 272, दिनांक 11-1-2010 (कैल)] द्वारा पारित आदेश

जमानत देने वाला उच्च न्यायालय इसके द्वारा संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया था

प्रशांत कुमार सरकार बनाम में न्यायालय। आशीष चटर्जी "। उस में

मामला, आरोपी के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था

दंड संहिता की धारा 303। द्वारा दायर कई जमानत याचिकाएँ

अभियुक्तों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय ने बदले में जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया

अभियुक्त द्वारा दायर किया गया। आदेश को दरकिनार करना [आशीष चटर्जी]

वी. डब्ल्यू. बी. राज्य, 2010 का सी. आर. एम. सं. 272, आदेश दिनांक 11-1-2010

(उच्च न्यायालय के डी. के. जैन, जे. ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 9. ..... यह मामूली बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है।

एक आदेश के साथ [आशीष चटर्जी बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, सी. आर. एम. नं.

272 2010 का आदेश दिनांक 11-1-2010 (Cal)] उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया

अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने वाला न्यायालय। हालांकि यह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय पर समान रूप से दायित्व

विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से बुनियादी अनुपालन में

इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत बिन्दु। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैं:

((i)

क्या कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है

यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्त ने अपराध किया था

अपराध;

((ख)

आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii)

दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

6 (2010) 14 एस. सी. सी. 496 कुमार सिंह बनाम

((iv) अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा, यदि -

जमानत पर रिहा किया गया;

(v)

चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति अभियुक्त का;

(vi)

अपराध के दोहराए जाने की संभावना;

(vii) गवाहों के होने की उचित आशंका

प्रभावित; और

(viii) निश्चित रूप से, अनुदान द्वारा न्याय को विफल किए जाने का खतरा।

जमानत से।

***

10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों का विज्ञापन नहीं करता है और यांत्रिक रूप से जमानत देता है, तो

उक्त आदेश मन के गैर-अनुप्रयोग के दोष से पीड़ित होगा,

इसे अवैध बनाना "।

14. अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने का प्रावधान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छूता है। यही कारण है कि यह न्यायालय जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है। तथापि, जहां जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, जमानत देने वाले ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है। न्यायालय को अन्य बातों के अलावा, एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, अपराध की प्रकृति और गंभीरता और अभियुक्त की कार्यवाही में बाधा डालने की संभावना किसी भी तरह से मुकदमा या न्याय के मार्ग से बचना। जमानत पर रिहा होने का प्रावधान न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक हित और मामले के निर्णय तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाता है। हालाँकि, जमानत का अनुदान कानून की सीमाओं के भीतर और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सुरक्षित किया जाना है। यही कारण है कि एक अदालत को कई कारकों को संतुलित करना चाहिए जो मामले-दर-मामले के आधार पर जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं। इस संकल्प में अंतर्निहित है

क्या अभिलेख के विश्लेषण पर यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का प्रथम दृष्टया या उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया था। यह इस स्तर पर अदालत के लिए प्रासंगिक नहीं है।

एक निर्णायक निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की विस्तार से जांच करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. अपीलीय की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार

जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अदालत जमानत रद्द करने के आवेदन के मूल्यांकन से अलग आधार पर खड़ी होती है। जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या कोई अनुचित या मनमाना आदेश था।

जमानत देने में विवेकाधिकार का प्रयोग। परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अनुचित है। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के आवेदन की जांच आम तौर पर पर्यवेक्षण के अस्तित्व के आधार पर की जाती है।

किसी व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों की परिस्थितियाँ या उल्लंघन

जिसे जमानत दे दी गई है। नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य में, अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी [मिठन यादव बनाम। उत्तर प्रदेश 7 का राज्य। आदेश के खिलाफ एक अपील में [मिठन यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन उच्च न्यायालय की सभी 16031], इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्ववर्ती का सर्वेक्षण किया

जमानत देने के लिए मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत। दीपक मिश्रा, जे.

" 12. ..... यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया जाता है क्योंकि आरोपी ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है।

या कुछ अधिशासी परिस्थितियों की जो इस तरह की गारंटी देती हैं

रद्द करना जमानत देने के आदेश से पूरी तरह अलग है जो अन्यायपूर्ण, अवैध और विकृत है। यदि किसी मामले में, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय जिन प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, या जमानत अप्रासंगिक है

विचार करने पर, निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को दरकिनार कर सकता है। ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक अलग दायरे में है। द्वितीय प्रकृति के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई पर्यवेक्षण परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायसंगतता और दृढ़ता पर प्रकाश डालता है।

17. जहाँ जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, वहाँ एक अपीलीय अदालत जमानत देने के आदेश को न्यायोचित रूप से रद्द कर सकती है। इस प्रकार एक अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने का आदेश गैर-जमानती आदेश से ग्रस्त है।

दिमाग का अनुप्रयोग या रिकॉर्ड पर साक्ष्य के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या साक्ष्य अभिलेख के आधार पर एक

एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 16031 कुमार सिंह बनाम

राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

" 2. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वकील ने आगे कहा कि मृतक अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, जो फिसल गई एक तेज मोड़ पर, जिसके कारण उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आईं, जिसमें पूर्व-शव परीक्षण सिर की चोटें भी शामिल थीं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वकील आगे प्रस्तुत करता है कि चालान पहले ही अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है और मुकदमे के समापन में लंबा समय लग सकता है।

3. विद्वान लोक अभियोजक और वकील

शिकायतकर्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया है।

4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना।

मामले के बारे में और मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ाना उचित और उचित समझता है।

इसके बाद इस अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया और आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि महिपाल (सुप्रा) के मामले में उच्च न्यायालय का आदेश जो इस न्यायालय के पक्ष में था, जहां तक यह प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 2. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वकील ने आगे कहा कि मृतक अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, जो एक तेज मोड़ पर फिसल गई, जिसके कारण उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आईं, जिसमें पूर्व-शव परीक्षण सिर की चोटें भी शामिल हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

वकील आगे प्रस्तुत करता है कि चालान पहले ही किया जा चुका है अदालत में पेश किए जाने और मुकदमे के समापन में लंबा समय लग सकता है।

3. विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के लिए वकील

जमानत याचिका का विरोध किया है।

4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय याचिकाकर्ता का विस्तार करना उचित और उचित समझता है।

। "[2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने के ऐसे आदेश को अस्वीकार कर दिया कि उच्च न्यायालय ने उन्हें उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया है। यह निर्धारित करना कि क्या अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाना था। इस अदालत ने आगे यह भी कहा कि यह उन कारणों को दर्ज करने के लिए जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के लिए न्यायिक अनुशासन का एक अच्छा अभ्यास है जो अदालत के साथ अपनी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए वजन करते हैं। पैराग्राफ 23,24 और 25 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 23. उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं करने में गलती की है कि क्या अभियुक्तों को दोषी ठहराया जाना था।

जमानत पर बढ़ाया गया। अभियुक्त का विस्तार करने का उच्च न्यायालय का आदेश

जमानत पर गलत है और अलग रखा जा सकता है। 24. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में त्रुटि होने का एक और कारण है। यह न्यायिक प्रक्रिया का एक अच्छा अभ्यास है।

उन कारणों को दर्ज करने के लिए जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के लिए अनुशासन जो अदालत के साथ अपनी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए वजन किया है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन अनिवार्य रूप से एक ही पैरा में निहित है जो कहता है: (राजेश कुमार मामला [राजेश कुमार बनाम। राजस्थान राज्य,

2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 5197], एस. सी. सी. ऑनलाइन राज पैरा 4)

" 4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना।

मामले के बारे में और मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ाना उचित और उचित समझता है।

25. केवल "रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद" और "चालू" रिकॉर्ड करना

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ "एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के उद्देश्य को पूरा नहीं करती हैं। यह एक मौलिक आधार है। खुला न्याय, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, वे कारक जो अस्वीकृति या जमानत देने में न्यायाधीश के दिमाग में आए हैं, पारित आदेश में दर्ज किए गए हैं। खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए। न्यायधीशों का कर्तव्य तर्कपूर्ण निर्णय देना इसके केंद्र में है।

प्रतिबद्धता। जमानत देने के सवाल आपराधिक अभियोजन से गुजरने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ आपराधिक

न्याय प्रणाली के हित यह सुनिश्चित करने में हैं कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए।

न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे इस आधार को स्पष्ट करें कि उनके पास क्या है।

एक निष्कर्ष पर पहुँचे। "

इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि जहां जमानत देने से इनकार करने या देने का आदेश निर्णय लेने के कारणों को प्रस्तुत नहीं करता है, वहां दिमाग का उपयोग न करने का अनुमान है जिसके लिए आवश्यक हो सकता है -

इस न्यायालय का हस्तक्षेप। यह आगे देखा गया है कि जहां जमानत के लिए पहले का आवेदन खारिज कर दिया गया है, वहां अपीलीय अदालत पर विशिष्ट कारण प्रस्तुत करने का अधिक बोझ है कि जमानत क्यों दी जानी चाहिए।

12. इस स्तर पर, रमेश भवन राठौड़ (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले को भी संदर्भित करने की आवश्यकता है। में।

उक्त निर्णय पर, इस न्यायालय ने इस निर्णय का उल्लेख करने के बाद, जमानत देने को नियंत्रित करने वाले विचारों पर बहुत विस्तार से विचार किया। राम गोविंद उपाध्याय (सुप्रा); प्रशांत कुमार सरकार (सुप्रा); चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 के मामले में न्यायालय और सोनू बनाम सोनू यादव में इस न्यायालय का निर्णय। जमानत देने पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद, उपरोक्त निर्णयों में, पैराग्राफ 20,21,36 और 37 में यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 20. मामले का पहला पहलू जो चेहरे पर घूरता है, वह है उच्च न्यायालय के फैसले में एकमात्र अनुपस्थिति

अपराध की प्रकृति और गंभीरता। 9 मई 2020 को हुई इस घटना में पाँच लोगों की हत्या कर दी गई थी। अपराध की प्रकृति एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जमानत देने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अपराध की गंभीर प्रकृति के बारे में कोई जागरूकता या विस्तार के अभाव में उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट हैं। विकृति उच्च न्यायालय की विफलता में निहित है

एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करें जिसका प्रभाव पड़ता है

ऐसे विचार जिनका जमानत देने या अस्वीकार करने पर प्रभाव पड़ता है। जमानत की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले विचारों को इस न्यायालय के फैसले में एक संपूर्ण प्रकृति या चरित्र को जोड़े बिना स्पष्ट किया गया था। यह निम्नलिखित उद्धरण से निकलता हैः
" 4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जिन्हें प्रासंगिक विचार माना जा सकता है, उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है -

8 (2004) 7 एस. सी. सी. 525 9 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 286 [2021] 6 एस. सी. आर.

हालाँकि, यह मोड़ केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है, न ही कोई हो सकता है। विचार इस प्रकार हैं:

(अ)

आरोपों की प्रकृति, लेकिन इसकी गंभीरता दण्ड, यदि आरोप में दोषसिद्धि शामिल है और

आरोपों के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति। गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंकाएँ

(ख)

के लिए एक खतरा होने की आशंका के साथ या

शिकायतकर्ता को मामले में अदालत के साथ भी विचार करना चाहिए।

जमानत देने के लिए।

जबकि इसके पास पूरा सबूत होने की उम्मीद नहीं है।

((ग)

अभियुक्त के अपराध को उचित से परे स्थापित करना

संदेह है लेकिन हमेशा प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए आरोप के समर्थन में अदालत का।

अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह

((घ)

केवल वास्तविकता का तत्व है जो होना चाहिए

जमानत देने के मामले में विचार किया गया, और की स्थिति में

इसकी वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह है

अभियोजन पक्ष, घटनाओं के सामान्य क्रम में, अभियुक्त है

जमानत के आदेश का हकदार "।

21. इस न्यायालय ने आगे पलटने के लिए मानक निर्धारित किया

निम्नलिखित शर्तों में जमानत देने वाला आदेश:

" 3. जमानत की मंजूरी हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है-लेकिन,

हालाँकि, इस तरह के विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है न कि निश्चित रूप से। बिना किसी ठोस कारण के जमानत के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

36. सी. आर. पी. सी. की धारा 439 के तहत जमानत देना एक मामला है

न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग शामिल है। जमानत देने या अस्वीकार करने में न्यायिक विवेकाधिकार- जैसा कि किसी अन्य विवेकाधिकार के मामले में है जो एक न्यायिक संस्थान के रूप में एक अदालत में निहित है-नहीं है

असंरचित। कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अदालत को सौंपे गए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए। न्यायिक आदेश में कारणों की रिकॉर्डिंग यह सुनिश्चित करती है कि आदेश कुमार सिंह बनाम में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया है।

राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

यह जांच के अधीन है और यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करता है। चमन लाल बनाम में यह न्यायालय। यू. पी. 3 राज्य ने इसी तरह यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय का एक आदेश जिसमें प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारण नहीं हैं कि जमानत दी जानी चाहिए

" 8. सरसरी तौर पर देखने पर भी उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से विवेकहीन होने को दर्शाता है। यद्यपि विस्तृत जाँच के गुणों के साक्ष्य और विस्तृत प्रलेखन

जमानत पर आदेश पारित करते समय अदालत को मामले से बचना चाहिए। अनुप्रयोग। फिर भी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत को ऐसा करना चाहिए

संतुष्ट किया जाए, कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला है, लेकिन

मामले के गुण-दोषों का विस्तृत अन्वेषण आवश्यक नहीं है।

जमानत के आवेदन पर विचार करने वाली अदालत के लिए आवश्यक है कि

अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करें न कि एक मामले के रूप में बेशक।

9. क्रम में इंगित करने की आवश्यकता है, प्रथम के लिए कारण

प्रत्यक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां

एक आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया था अपराध "।

37. जिस तरह से विशन (ए-6) की जमानत के लिए आवेदन का निपटारा किया गया था, हम उस पर अपनी अस्वीकृति दर्ज करने के लिए भी विवश हैं। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने के अपने फैसले का समर्थन करने की मांग की कि उसने रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है और "सबूतों पर विस्तार से चर्चा किए बिना" जमानत दे रहा है।

विचार करने के लिए:

(1) मामले के तथ्य;

(2) आरोपों की प्रकृति;

(3) अपराधों की गंभीरता; और

(4) अभियुक्त की भूमिका "।

13. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

जमानत देने पर, मामले के तथ्यों के लिए; उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए पारित किए गए आक्षेपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों का वर्णन करने के अलावाअभियुक्त और लोक अभियोजक और [2021] 6 एस. सी. आर. की ओर से पेश होना।

शिकायतकर्ता के दिमाग का कोई स्वतंत्र आवेदन नहीं है और इस तरह उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई कारण नहीं दिया गया है, वह भी उस मामले में जहां अभियुक्त आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों और अन्य अपराधों के लिए आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा व्यक्ति-विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, मृतक को 26 चोटें आई थीं और घायलों को कुंद और धारदार हथियारों से 11 चोटें आई थीं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एक ही पैरा था जो निम्नानुसार हैः

" याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, मैं दूसरी जमानत याचिका को अनुमति देना उचित समझता हूं।

13.1 इस तरह के आदेश को इस न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकार किया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, अपराधों की गंभीरता और अभियुक्त की भूमिका पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। वास्तव में, परिस्थितियों पर कोई चर्चा या विश्लेषण नहीं होता है।

13.2 उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों "याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, मैं इसे उचित मानता हूं

दूसरे जमानत आवेदन की अनुमति देना उस तरह के तर्क का गठन नहीं करता है जो न्यायिक आदेश से अपेक्षित है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को विकृत कहा जा सकता है और यह जमानत देते समय विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने से ग्रस्त है और इसलिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

14. अभियुक्तों की ओर से यह निवेदन कि अभियुक्तों पर लाठी से लैस होने का आरोप लगाया गया था और इसलिए वे थे

जमानत पर रिहा होने का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी अभियुक्तों पर धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं

302 और 307 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा जाता है। इस स्तर पर, अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब उन पर गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने का आरोप लगाया जाता है। मृतक के शरीर पर 26 घाव पाए गए और घायल विक्रम सिंह पर धारदार हथियारों से 11 घाव पाए गए। इसलिए, केवल इसलिए कि वे लाठियों से लैस थे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब उन पर आईपीसी की धारा 149 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया जाता है।

कुमार सिंह बनाम। राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

15. अब तक अभियुक्तों की ओर से यह निवेदन कि अभियुक्तों को वर्ष 2019 में जमानत पर रिहा किया गया है और अब तक उन्हें जमानत पर रिहा होने के लगभग 2 साल से अधिक समय बीत चुका है और

स्वतंत्रता के दुरुपयोग और/या जमानत देने की शर्तों का कोई उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है और इसलिए यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द नहीं कर सकता है, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मई, 2019 के महीने में जमानत दिए जाने के तुरंत बाद, वर्तमान अपीलों को जुलाई, 2019 के महीने में यानी 2 महीने की अवधि के भीतर पेश किया गया है और यहां तक कि इस न्यायालय ने अगस्त, 2019 के महीने में वर्तमान कार्यवाही में नोटिस भी जारी किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेशों को चुनौती देने में शिकायतकर्ता की ओर से कोई देरी नहीं होती है। अन्यथा भी, जैसा कि इस न्यायालय ने महिपाल (सुप्रा) के मामले में और यहां तक कि रमेश भवन (सुप्रा) के मामले में भी कहा है, जमानत रद्द करने का आवेदन जमानत को चुनौती देने से अलग है।

उच्च न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश। महिपाल (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने नीरू यादव (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार किया और उसके बाद पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः

" 16. अपीलीय न्यायालय की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार

जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में जमानत रद्द करने के आवेदन के मूल्यांकन से अलग आधार पर खड़ा होता है। जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या कोई अनुचित या मनमाना आदेश था।

पर्यवेक्षण के अस्तित्व के बारे में जांच की गई किसी व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों की परिस्थितियाँ या उल्लंघन

जिसे जमानत दे दी गई है। नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। आदेश के खिलाफ एक अपील में [मिठन यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन उच्च न्यायालय की सभी 16031], इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुदान का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों पर पूर्ववर्ती सर्वेक्षण किया।

जमानत से। दीपक मिश्रा, जे.

" 12. ..... यह कानून में अच्छी तरह से तय किया गया है कि जमानत दिए जाने के बाद रद्द करने के लिए क्योंकि आरोपी ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है या इस तरह के रद्द करने की गारंटी देने वाली कुछ पर्यवेक्षी परिस्थितियों में [2021] 6 एस. सी. आर. है।

हुआ एक आदेश से पूरी तरह से अलग डिब्बे में है

जमानत देना जो अनुचित, अवैध और विकृत हो। यदि किसी मामले में, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय जिन प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, या जमानत अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है। ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक अलग श्रेणी में है।

क्षेत्र। द्वितीय प्रकृति के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई पर्यवेक्षण परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत, यह न्यायसंगतता और दृढ़ता में तल्लीन करता है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश "।

16. महिपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने भी रूपरेखा तैयार की।

निम्नलिखित शर्तों में इस न्यायालय द्वारा जमानत को दरकिनार करने को नियंत्रित करने वाले मानकः

" 17. जहाँ जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, वहाँ एक अपीलीय अदालत उचित रूप से निर्धारित कर सकती है। जमानत देने के आदेश को दरकिनार कर दें। इस प्रकार एक अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने का आदेश गैर-जमानती आदेश से ग्रस्त है।

मन का अनुप्रयोग या प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं होता है

अभिलेख पर साक्ष्य "।

16.1 कानून के उपरोक्त सिद्धांत को इस अदालत ने परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम मामले में हाल के फैसले में भी दोहराया है।

महाराष्ट्र राज्य 1 0.

17. जिन कारणों का हमने ऊपर संकेत दिया है और जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदनों का निपटारा किया है,

काफी हद तक एक पैराग्राफ का आदेश कहा जाए, हमारी राय है कि प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत देने वाले आदेश विकृति से ग्रस्त हैं। प्रतिवादियों को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश-अभियुक्त इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं महिपाल (सुप्रा), नीरू यादव (सुप्रा); गुलाबराव बाबूराव देवकर (सुप्रा) के माध्यम से विभिन्न निर्णयों में निर्धारित अपीलीय अदालत की शक्तियों का उपयोग करने और जमानत देने पर। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य हैं। हम तदनुसार इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के निम्नलिखित आदेशों को दरकिनार करते हैंः

10 10 (2020) 11 एस. सी. सी. 648 कुमार सिंह बनाम

जमा

नत का आवेदन

आरोपित

ऑर्डर की तारीख

एस. एल. नहीं।

एसएलपी नं.

उच्च द्वारा

नहीं।

अदालत

जमानत

का आवेदन

कमलेश

6792 2019 का

28.05.2019

1 .

No.7

179/2019

जमानत

का आवेदन

17.05.2019

2 .

आरिफ

7098 2019 का

No.6

616/2019

जमानत

का आवेदन

3 .

भोजराज सिंह

7099 2019 का

01.06.2019

No.7

180/2019

सभी अभियुक्तों को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। की प्रतिलिपि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सत्र न्यायाधीश को भेजा जाएगा।

तुरंत।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।